

पेशक,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक : 17 अक्टूबर, 2017

विशय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत चयनित 30 जनपदों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक तथा सम्पूर्ण प्रदेश को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौच मुक्त करने में ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाईकर्मी और ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की महिला समाख्या की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उन्हें पुरस्कृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विशयक शासनादेश संख्या-44/2017/913/33-3-2017- 112/2017 दिनांक 17 मई, 2017 एवं शासनादेश संख्या-46/2017/ 914/33-3-2017- 112/2017 दिनांक 17 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेशों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद् और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति के लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत पंचायतीराज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सफाईकर्मी, ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम रोजगार सेवक तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की महिला समाख्या की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित कर न्यूनतम 25-25 शौचालयों का निर्माण 31 जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9 में यह प्राविधान है कि विकास खण्ड स्तर और जनपद स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले उक्त कर्मचारियों और महिला समाख्या की महिलाओं को पुरस्कार

और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र के लिए पात्रता, पुरस्कार का स्तर, पुरस्कार के लिए चयन, पुरस्कार की धनराशि और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आदि निम्नांकित विवरणानुसार किया जायेगा:-

पात्र कर्मचारी एवं महिलायें

1. विकास खण्ड व जनपद स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

पात्रता

2. उक्त दोनों शासनादेशों के प्रस्तर-4 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपने स्थायी निवास के ग्राम में अपने घर पर दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक मानव मल के सुरक्षित निपटान योग्य एक शौचालय का निर्माण कराने वाले तथा योजनान्तर्गत निर्धारित न्यूनतम 25 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य 31 जुलाई, 2017 तक पूर्ण कराने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाईकर्मी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलायें ही पुरस्कार के लिए पात्र होंगी।

निर्मित शौचालयों का सत्यापन

3. पुरस्कार के लिए चयन के पूर्व उक्त कर्मचारियों/महिलाओं द्वारा निर्माण कराये गये शौचालयों का सत्यापन, एम.आई.एस. फीडिंग और जियो टैगिंग (फोटोग्राफ अपलोडिंग) उक्त दोनों शासनादेशों दिनांक 17 मई, 2017 के प्रस्तर-8 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कराया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर

4. विकास खण्ड स्तर पर उक्तानुसार सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण कराने वाले सर्वश्रेष्ठ 03 कर्मियों/महिलाओं को निम्नानुसार पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा:-

1- प्रथम पुरस्कार रू0 5,000/-

2- द्वितीय पुरस्कार रू0 3,000/-

3- तृतीय पुरस्कार रू0 2,000/-

जनपद
स्तर

5. जनपद स्तर पर सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण कराने वाले उक्त सर्वश्रेष्ठ 03 कर्मियों/महिलाओं को निम्नानुसार पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा:-

1-प्रथम पुरस्कार रू0 7,000/-

2-द्वितीय पुरस्कार रू0 5,000/-

3-तृतीय पुरस्कार रू0 3,000/-

पुरस्कार हेतु धनराशि
की व्यवस्था

6. पुरस्कार हेतु वांछित धनराशि का वहन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई.ई.सी. घटक के अन्तर्गत जनपद को अनुमन्य धनराशि से किया जायेगा।

पुरस्कार हेतु पात्र
व्यक्तियों का चयन

7. उक्त पुरस्कारों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा:-

1- मुख्य विकास अधिकारी- सदस्य

2- जिला पंचायतराज अधिकारी- सदस्य सचिव

पुरस्कार वितरण
समारोह
का आयोजन

8. विकास खण्ड स्तर पर और जनपद स्तर पर पुरस्कारों का वितरण एक समारोह आयोजित कर मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिससे कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी/महिलायें गौरवान्वित अनुभव कर सकें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन सं0 (1-12), तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- निदेशक , पंचायतीराज, उ०प्र०।
- 6- मिशन निदेशक , स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 7- निदेशक , महिला कल्याण, उ०प्र०।
- 8- निदेशक , महिला समाख्या, 4/13 विशाल खण्ड, गोमतीनगर, उ०प्र०।
- 9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उ०प्र०।
11. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव।

<http://Shashnadeshup.nic.in>